राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 2361/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
प्रकाश राज गेहलोत मु0-रसियावास खुर्द] पो0-पलासिया कलां] तह- आहोर जालोर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी उर्जा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 16-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चन्द्र मोहन गर्ग, उप शासन सचिव, उर्जा विभाग एवं श्री अनूप सहायक अभियन्ता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 19-07-2017 के द्वारा रा.रा.वि.प्र. निगम लि. अधिक्षण अभियन्ता, जालौर द्वारा सुरक्षा पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में 8 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. को दिनांक 02-08-2017 को अन्तरित किया गया। अपीलार्थी को वांछित सूचना पत्र दिनांक 10-08-2017 से उपलब्ध कराई गई है कि अपीलार्थी का किसी सरकारी विभाग से संबंध नहीं है। अपीलार्थी का प्रकरण आउट सोर्सिंग कम्पनी से संबंधित है। अपीलार्थी एक ही विषय पर अलग अलग विभागों को आवेदन करता है। पूर्व में आयोग में प्रेषित द्वितीय अपील संख्या 73/2018 निर्णय दिनांक 25-04-2018 से खारिज की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 04-04-2018 व 05-04-2018 प्रस्तुत किये हैं जिनकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 10-08-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त